



क्रमांक: अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/M984/5827 दिनांक: 25.09.2024

मनषा इन्फ्राटेक डवलपर्स जरिये पार्टनर
श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा
निवासी-बी 39, छतरी योजना, वैशाली नगर
अजमेर।

विषय:- राजस्व ग्राम माकडवाली के खसरा संख्या 5683/2980, 2942/4439, 2945/4946, 5883/2942, 2942/4440, 2979 रकबा 20000.00 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम माकडवाली के खसरा संख्या 5683/2980, 2942/4439, 2945/4946, 5883/2942, 2942/4440, 2979 रकबा 20000.00 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2024वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 में प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले-आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :-

1. राजकीय विवेकानन्द मॉडल स्कूल के पास से आवेदित भूमि तक प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 2981, 2984 एवं 2982 में से 12 मीटर चौड़ा पहुंचमार्ग उपलब्ध करवाया गया है। इस भूमि को सदैव सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा एवं इस मार्ग का स्वामित्व सदैव प्राधिकरण का ही रहेगा।
2. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में कोई निर्माण नहीं होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
3. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमाकेशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जावें।
4. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चित आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
5. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
6. आवेदित भूमि में से यदि किसी भी क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सडक के सहारे शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
7. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Elevated Service Reservoir का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियान्त्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
8. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।



9. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डों के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 10. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टों के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
 11. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 13. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।
- स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

(मुकेश मित्तल)

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

दिनांक :

क्रमांक : अविप्रा./प.3/नियोजन शाखा/2024/
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (मय अनुमोदित मानचित्र)।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले-आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

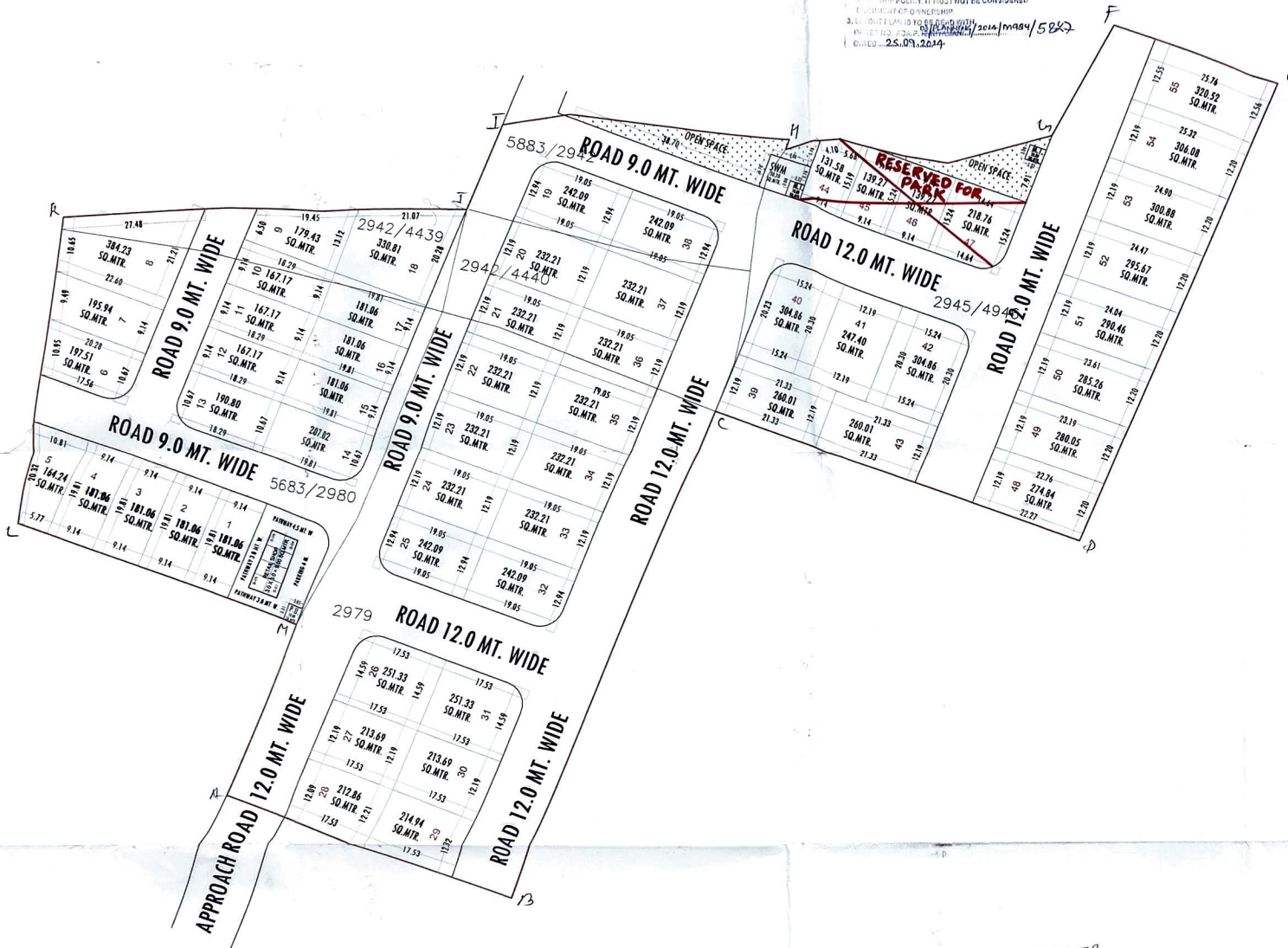
(मुकेश मित्तल)

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RESIDENTIAL SCHEME"
 AT REVENUE VILLAGE - MAKERWALI, TEH.- AJMER, AJMER



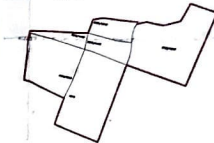
NOTE:
 1. LAYOUT PLAN APPROVED VIDE AGENDA NO. 03
 OF BUILDING PLAN COMMITTEE'S
 2. LAYOUT PLAN: 05/2024... MEETING
 DATED: 14.09.2024
 3. THIS IS THE ONLY TECHNICAL APPROVAL AS PER
 THE SHIP POLICY. IT MUST NOT BE CONSIDERED
 AS A COMMITMENT OF GOVERNMENT
 4. LAYOUT PLAN IS TO BE SUBMITTED WITH
 OR WITHIN 15 DAYS OF THE DATE OF
 DATED: 25.09.2024



MAKERWALI		
Khasra no	AREA (Hect.)	AREA (Sq.Mtr.)
2979	0.61	6100
5683/2980	0.41	4100
2942/4439	0.08	800
2942/4440	0.1	1000
5883/2942	0.2	2000
2945/4946	0.5	6000
TOTAL	2	20000

A.D.A.

KHASRA MAP:-



LOCATION PLAN:-



NORTH:-



मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
 आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
 १. कुल आवासीय भूखण्ड = 55
 २. खुदरा भूखण्ड = 5-8

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	12627.15	63.14 %
2.	RETAIL	72.00	0.36 %
TOTAL = (1+2)		12700.27	60.35 %
3.	OPEN SPACE	382.08	0.19 %
4.	S.W.M.	50.30	0.25 %
5.	M.T.	20.00	0.10 %
6.	P.U.	10.00	0.05 %
7.	ROAD	6838.47	34.19 %
TOTAL = (3 TO 7)		7929.73	39.65 %
SCHEME AREA		20000.00	100.00 %

AREA OF PLOTS 44 TO 47 = 628.88 Sq.Mt.
 THUS REVICED AREA
 11998.21 Sq.Mt (59.99 %)
 + AREA OF PLOT 44
 TO 47 = 628.88 Sq.Mt
 THUS TOTAL: 1010.96 Sq.Mt
 (5.05%)

अ.प्रताप

योजना की भूमि की रा.म.रा. अधिनियम की धारा २०२ के
 अन्तर्गत एवं इसके पर खोले का अन्वेषण के अन्तर्गत एक-
 योजना की पूरी भूमि व्यवहार में स्थित हो चुकी है।

नाम:
 तहसीलवार:
 बी.पी.सी. / जे.एल.सी. की श्रेष्ठ तथ्या
 की अनुमति से योजना वाणिज्य स्वीकृत कर जारी किया गया।

SCHEME NAME -
"RESIDENTIAL SCHEME"
 AT REVENUE VILLAGE - MAKERWALI, TEH.- AJMER, AJMER

ZONE NO.:-

SCALE:- 1:500

APPLICANT

TEHSILDAR DIR. PLANNING DY. COMMISSIONER

DR. ANIL KUMAR JAIN JR. ENGINEER ASST. COMMISSIONER

१०-अर्द्धांक कुल १०१०.३८
 दिनांक २३ अगस्त २०२४ को (२०२४-२५) के अन्तर्गत दिनांक
 की योजना में नए भूखण्डों को स्वीकृत करने के लिए २९५५/५५५७, २९५५/५५५८, २९५५/५५५९, २९५५/५५६०, २९५५/५५६१, २९५५/५५६२, २९५५/५५६३, २९५५/५५६४, २९५५/५५६५, २९५५/५५६६, २९५५/५५६७, २९५५/५५६८, २९५५/५५६९, २९५५/५५७०, २९५५/५५७१, २९५५/५५७२, २९५५/५५७३, २९५५/५५७४, २९५५/५५७५, २९५५/५५७६, २९५५/५५७७, २९५५/५५७८, २९५५/५५७९, २९५५/५५८०, २९५५/५५८१, २९५५/५५८२, २९५५/५५८३, २९५५/५५८४, २९५५/५५८५, २९५५/५५८६, २९५५/५५८७, २९५५/५५८८, २९५५/५५८९, २९५५/५५९०, २९५५/५५९१, २९५५/५५९२, २९५५/५५९३, २९५५/५५९४, २९५५/५५९५, २९५५/५५९६, २९५५/५५९७, २९५५/५५९८, २९५५/५५९९, २९५५/५६००, २९५५/५६०१, २९५५/५६०२, २९५५/५६०३, २९५५/५६०४, २९५५/५६०५, २९५५/५६०६, २९५५/५६०७, २९५५/५६०८, २९५५/५६०९, २९५५/५६१०, २९५५/५६११, २९५५/५६१२, २९५५/५६१३, २९५५/५६१४, २९५५/५६१५, २९५५/५६१६, २९५५/५६१७, २९५५/५६१८, २९५५/५६१९, २९५५/५६२०, २९५५/५६२१, २९५५/५६२२, २९५५/५६२३, २९५५/५६२४, २९५५/५६२५, २९५५/५६२६, २९५५/५६२७, २९५५/५६२८, २९५५/५६२९, २९५५/५६३०, २९५५/५६३१, २९५५/५६३२, २९५५/५६३३, २९५५/५६३४, २९५५/५६३५, २९५५/५६३६, २९५५/५६३७, २९५५/५६३८, २९५५/५६३९, २९५५/५६४०, २९५५/५६४१, २९५५/५६४२, २९५५/५६४३, २९५५/५६४४, २९५५/५६४५, २९५५/५६४६, २९५५/५६४७, २९५५/५६४८, २९५५/५६४९, २९५५/५६५०, २९५५/५६५१, २९५५/५६५२, २९५५/५६५३, २९५५/५६५४, २९५५/५६५५, २९५५/५६५६, २९५५/५६५७, २९५५/५६५८, २९५५/५६५९, २९५५/५६६०, २९५५/५६६१, २९५५/५६६२, २९५५/५६६३, २९५५/५६६४, २९५५/५६६५, २९५५/५६६६, २९५५/५६६७, २९५५/५६६८, २९५५/५६६९, २९५५/५६७०, २९५५/५६७१, २९५५/५६७२, २९५५/५६७३, २९५५/५६७४, २९५५/५६७५, २९५५/५६७६, २९५५/५६७७, २९५५/५६७८, २९५५/५६७९, २९५५/५६८०, २९५५/५६८१, २९५५/५६८२, २९५५/५६८३, २९५५/५६८४, २९५५/५६८५, २९५५/५६८६, २९५५/५६८७, २९५५/५६८८, २९५५/५६८९, २९५५/५६९०, २९५५/५६९१, २९५५/५६९२, २९५५/५६९३, २९५५/५६९४, २९५५/५६९५, २९५५/५६९६, २९५५/५६९७, २९५५/५६९८, २९५५/५६९९, २९५५/५७००, २९५५/५७०१, २९५५/५७०२, २९५५/५७०३, २९५५/५७०४, २९५५/५७०५, २९५५/५७०६, २९५५/५७०७, २९५५/५७०८, २९५५/५७०९, २९५५/५७१०, २९५५/५७११, २९५५/५७१२, २९५५/५७१३, २९५५/५७१४, २९५५/५७१५, २९५५/५७१६, २९५५/५७१७, २९५५/५७१८, २९५५/५७१९, २९५५/५७२०, २९५५/५७२१, २९५५/५७२२, २९५५/५७२३, २९५५/५७२४, २९५५/५७२५, २९५५/५७२६, २९५५/५७२७, २९५५/५७२८, २९५५/५७२९, २९५५/५७३०, २९५५/५७३१, २९५५/५७३२, २९५५/५७३३, २९५५/५७३४, २९५५/५७३५, २९५५/५७३६, २९५५/५७३७, २९५५/५७३८, २९५५/५७३९, २९५५/५७४०, २९५५/५७४१, २९५५/५७४२, २९५५/५७४३, २९५५/५७४४, २९५५/५७४५, २९५५/५७४६, २९५५/५७४७, २९५५/५७४८, २९५५/५७४९, २९५५/५७५०, २९५५/५७५१, २९५५/५७५२, २९५५/५७५३, २९५५/५७५४, २९५५/५७५५, २९५५/५७५६, २९५५/५७५७, २९५५/५७५८, २९५५/५७५९, २९५५/५७६०, २९५५/५७६१, २९५५/५७६२, २९५५/५७६३, २९५५/५७६४, २९५५/५७६५, २९५५/५७६६, २९५५/५७६७, २९५५/५७६८, २९५५/५७६९, २९५५/५७७०, २९५५/५७७१, २९५५/५७७२, २९५५/५७७३, २९५५/५७७४, २९५५/५७७५, २९५५/५७७६, २९५५/५७७७, २९५५/५७७८, २९५५/५७७९, २९५५/५७८०, २९५५/५७८१, २९५५/५७८२, २९५५/५७८३, २९५५/५७८४, २९५५/५७८५, २९५५/५७८६, २९५५/५७८७, २९५५/५७८८, २९५५/५७८९, २९५५/५७९०, २९५५/५७९१, २९५५/५७९२, २९५५/५७९३, २९५५/५७९४, २९५५/५७९५, २९५५/५७९६, २९५५/५७९७, २९५५/५७९८, २९५५/५७९९, २९५५/५८००, २९५५/५८०१, २९५५/५८०२, २९५५/५८०३, २९५५/५८०४, २९५५/५८०५, २९५५/५८०६, २९५५/५८०७, २९५५/५८०८, २९५५/५८०९, २९५५/५८१०, २९५५/५८११, २९५५/५८१२, २९५५/५८१३, २९५५/५८१४, २९५५/५८१५, २९५५/५८१६, २९५५/५८१७, २९५५/५८१८, २९५५/५८१९, २९५५/५८२०, २९५५/५८२१, २९५५/५८२२, २९५५/५८२३, २९५५/५८२४, २९५५/५८२५, २९५५/५८२६, २९५५/५८२७, २९५५/५८२८, २९५५/५८२९, २९५५/५८३०, २९५५/५८३१, २९५५/५८३२, २९५५/५८३३, २९५५/५८३४, २९५५/५८३५, २९५५/५८३६, २९५५/५८३७, २९५५/५८३८, २९५५/५८३९, २९५५/५८४०, २९५५/५८४१, २९५५/५८४२, २९५५/५८४३, २९५५/५८४४, २९५५/५८४५, २९५५/५८४६, २९५५/५८४७, २९५५/५८४८, २९५५/५८४९, २९५५/५८५०, २९५५/५८५१, २९५५/५८५२, २९५५/५८५३, २९५५/५८५४, २९५५/५८५५, २९५५/५८५६, २९५५/५८५७, २९५५/५८५८, २९५५/५८५९, २९५५/५८६०, २९५५/५८६१, २९५५/५८६२, २९५५/५८६३, २९५५/५८६४, २९५५/५८६५, २९५५/५८६६, २९५५/५८६७, २९५५/५८६८, २९५५/५८६९, २९५५/५८७०, २९५५/५८७१, २९५५/५८७२, २९५५/५८७३, २९५५/५८७४, २९५५/५८७५, २९५५/५८७६, २९५५/५८७७, २९५५/५८७८, २९५५/५८७९, २९५५/५८८०, २९५५/५८८१, २९५५/५८८२, २९५५/५८८३, २९५५/५८८४, २९५५/५८८५, २९५५/५८८६, २९५५/५८८७, २९५५/५८८८, २९५५/५८८९, २९५५/५८९०, २९५५/५८९१, २९५५/५८९२, २९५५/५८९३, २९५५/५८९४, २९५५/५८९५, २९५५/५८९६, २९५५/५८९७, २९५५/५८९८, २९५५/५८९९, २९५५/५९००, २९५५/५९०१, २९५५/५९०२, २९५५/५९०३, २९५५/५९०४, २९५५/५९०५, २९५५/५९०६, २९५५/५९०७, २९५५/५९०८, २९५५/५९०९, २९५५/५९१०, २९५५/५९११, २९५५/५९१२, २९५५/५९१३, २९५५/५९१४, २९५५/५९१५, २९५५/५९१६, २९५५/५९१७, २९५५/५९१८, २९५५/५९१९, २९५५/५९२०, २९५५/५९२१, २९५५/५९२२, २९५५/५९२३, २९५५/५९२४, २९५५/५९२५, २९५५/५९२६, २९५५/५९२७, २९५५/५९२८, २९५५/५९२९, २९५५/५९३०, २९५५/५९३१, २९५५/५९३२, २९५५/५९३३, २९५५/५९३४, २९५५/५९३५, २९५५/५९३६, २९५५/५९३७, २९५५/५९३८, २९५५/५९३९, २९५५/५९४०, २९५५/५९४१, २९५५/५९४२, २९५५/५९४३, २९५५/५९४४, २९५५/५९४५, २९५५/५९४६, २९५५/५९४७, २९५५/५९४८, २९५५/५९४९, २९५५/५९५०, २९५५/५९५१, २९५५/५९५२, २९५५/५९५३, २९५५/५९५४, २९५५/५९५५, २९५५/५९५६, २९५५/५९५७, २९५५/५९५८, २९५५/५९५९, २९५५/५९६०, २९५५/५९६१, २९५५/५९६२, २९५५/५९६३, २९५५/५९६४, २९५५/५९६५, २९५५/५९६६, २९५५/५९६७, २९५५/५९६८, २९५५/५९६९, २९५५/५९७०, २९५५/५९७१, २९५५/५९७२, २९५५/५९७३, २९५५/५९७४, २९५५/५९७५, २९५५/५९७६, २९५५/५९७७, २९५५/५९७८, २९५५/५९७९, २९५५/५९८०, २९५५/५९८१, २९५५/५९८२, २९५५/५९८३, २९५५/५९८४, २९५५/५९८५, २९५५/५९८६, २९५५/५९८७, २९५५/५९८८, २९५५/५९८९, २९५५/५९९०, २९५५/५९९१, २९५५/५९९२, २९५५/५९९३, २९५५/५९९४, २९५५/५९९५, २९५५/५९९६, २९५५/५९९७, २९५५/५९९८, २९५५/५९९९, २९५५/६०००, २९५५/६००१, २९५५/६००२, २९५५/६००३, २९५५/६००४, २९५५/६००५, २९५५/६००६, २९५५/६००७, २९५५/६००८, २९५५/६००९, २९५५/६०१०, २९५५/६०११, २९५५/६०१२, २९५५/६०१३, २९५५/६०१४, २९५५/६०१५, २९५५/६०१६, २९५५/६०१७, २९५५/६०१८, २९५५/६०१९, २९५५/६०२०, २९५५/६०२१, २९५५/६०२२, २९५५/६०२३, २९५५/६०२४, २९५५/६०२५, २९५५/६०२६, २९५५/६०२७, २९५५/६०२८, २९५५/६०२९, २९५५/६०३०, २९५५/६०३१, २९५५/६०३२, २९५५/६०३३, २९५५/६०३४, २९५५/६०३५, २९५५/६०३६, २९५५/६०३७, २९५५/६०३८, २९५५/६०३९, २९५५/६०४०, २९५५/६०४१, २९५५/६०४२, २९५५/६०४३, २९५५/६०४४, २९५५/६०४५, २९५५/६०४६, २९५५/६०४७, २९५५/६०४८, २९५५/६०४९, २९५५/६०५०, २९५५/६०५१, २९५५/६०५२, २९५५/६०५३, २९५५/६०५४, २९५५/६०५५, २९५५/६०५६, २९५५/६०५७, २९५५/६०५८, २९५५/६०५९, २९५५/६०६०, २९५५/६०६१, २९५५/६०६२, २९५५/६०६३, २९५५/६०६४, २९५५/६०६५, २९



BZ 082875



शपथ-पत्र

मैं कि MANSHAA INFRATEC DEVELOPERS जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुमार जैन, आयु लगभग 55 वर्ष, सुपुत्र स्वर्गीय श्री नाथूलाल जैन, जाति जैन, निवासी बी-39, छतरी योजना, वैशाली नगर, अजमेर का हूँ :-

1. यह कि हमारी एक खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2942/4439, 5683/2980, 2945/4946, 5883/2942, 2942/4440, 2979 जिसका कुल क्षेत्रफल 20000.0 वर्ग मीटर है जो वार्क राजस्व ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है।
2. यह कि उक्त आराजी का ले-आउट प्लान अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसका मांग पत्र क्रमांक : प्राधिकरण/प.12/नियमन/24-25/892 दिनांक 18/09/2024 को जारी हो चुका है तथा मांग पत्र मेरे द्वारा जमा करवा दिया गया है।
3. यह कि यह शपथ पत्र खसरा संख्या 2942/4439, 5683/2980, 2945/4946, 5883/2942, 2942/4440, 2979 के बेचान योग्य कुल क्षेत्रफल 12070.0 वर्ग मीटर के भूखण्डों में से 12.50% को रिजर्व रखने के लिए दिया जा रहा है।
4. यह कि निम्नलिखित भूखण्डों को रिजर्व रखा जाये, उक्त खसरा संख्या में विकास कार्य पूर्ण होने के अनुपात में रिजर्व रखे गये भूखण्डों के पट्टे जारी करवाता रहूंगा। रिजर्व रखे गये भूखण्डों की संख्या 6 है एवं रिजर्व रखे गये भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 1578.73 वर्ग मीटर है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

प्रतिलिपी प्रमाणित

उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

Manoj Sharma

24/4/24

Notary Public, Aajmer

24/4/24

क्रमांक १०० दिनांक 24-4-2025
 रूपये 100
 कृता का नाम मश. इ. फ. व. स्व. प. म.
 रा. नं. १०० प. १०० - राज. कु. म. ल.
 १०० अ. १०० श. १००
 १०० अ. १०० श. १००

१०० अ. १०० श. १००
 १०० अ. १०० श. १००
 १०० अ. १०० श. १००

१०० अ. १०० श. १००
 १०० अ. १०० श. १००
 १०० अ. १०० श. १००

१०० अ. १०० श. १००
 १०० अ. १०० श. १००

(2)

क.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	05	164.24 वर्ग मीटर
2	08	384.23 वर्ग मीटर
3	09	179.43 वर्ग मीटर
4	18	330.81 वर्ग मीटर
5	39	260.01 वर्ग मीटर
6	43	260.01 वर्ग मीटर
	कुल रिजर्व क्षेत्रफल —	1578.73 वर्ग मीटर



अजमेर/दिनांक : 24.04.2025

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूं कि उक्त शपथ-पत्र की चरण संख्या 1 से 4 मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है।

अजमेर/दिनांक : 24.04.2025

[Signature]

Manoj Sharma
शपथकर्ता

[Signature]

Manoj Sharma
शपथकर्ता

Identified by me

[Signature]
Notary Public, Ajmer
24/4/2025

प्रतिलिपी प्रमाणित

सिपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर